

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01(बेसिक)
संख्या:-394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II
देहरादून: दिनांक :25 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-16 के अन्तर्गत सेवा संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य न होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 द्वारा सेवा संवर्ग, को अपरिवर्तित रखते हुए, शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध एवं उनकी पारिवारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्य संवर्ग में तैनाती इस शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी थी कि शिक्षक/प्रधानाध्यापक का लियन उनके मूल संवर्ग में बना रहेगा तथा निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण करने के उपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस जाना होगा। तदुपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-727/XXIV(1)/2017-36/2016, दिनांक 24.07.2017 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य के पर्वतीय जनपदों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं उक्त के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-727/XXIV(1)/2017-36/2016, दिनांक 24.07.2017 को एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2016 के अनुक्रम में निर्गत सम्बन्धित समस्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से प्रभावित समस्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.05.2018 तक प्रत्येक दशा में अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को उनके मूल तैनाती स्थान हेतु प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि किसी सम्बन्धित अधिकारी/शिक्षक द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उक्त अधिकारी/शिक्षक का जून माह का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या:-394/XXIV(1)/2018-36/2016 T.C. II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के आशय से प्रेषित।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त आदेश की अवहेलना को संज्ञान में रखते हुए, उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव